परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 3.00 किमी0 कार्य की स्वीकृति शासना देश संख्या 304 / 111(2) / 17–58 (एम0एल0ए0) / 2017 लो0 नि0 अनुभाग–2 दिनांक 15.11.2017 के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू–भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम खलाड़ क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले तोको के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गॉवो से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गॉव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। यह मोटर मार्ग पांगकटारा से खलाड़ मोटर मार्ग 3.00 किमी0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है ।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही नयी योजनो के बारें मे प्रचार प्रसार हेतु इन गावों मे अधिकारी / कर्मचारी आदि संसस्थो को यातायात की सुविधा होगी, जिससे प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो सकेगा। साथ ही स्थानीय ग्रामिणों को गैस आदि आवश्यकता प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिससे जंगलों को बचाये जाने में मदत मिलेगी। मार्ग के संरेखण में कुल 1.710 है0 वन भूमि प्रभावित होती है जिसमें विभिन्न व्यास के कुल 231 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नही हो रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग वनाछाति है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोगा के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः 3.00 किमी0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (आरक्षित वन एवं सिविल सोयम) लम्बाई 1900 मीटर तथा चौडाई 9.00 मीटर में प्रभावित होने वाली 1.710 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा मार्ग के संमरेखण मे प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

(मुहर: सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

(मुहर: अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

उप प्रभागीय वनाधिकारी (मु0)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।

(मुहर: प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल)